झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–300 वर्ष 2017

ब्रजेश कुमार कछवाहा, पे0–स्वर्गीय बिंधेश्वरी प्रसाद सिंह, प्रोफेसर कॉलोनी, चैती दुर्गा स्थान के नजदीक, साहेबगंज, थाना–सदर, जिला–साहेबगंज, झारखण्ड

....

याचिकाकर्त्ता(गण)

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग, नील हाउस, डोरंडा, रांची।

2. अधीक्षण अभियंता, पेयजल और स्वच्छता सर्कल, दुमका।

3. कार्यपालक अभियंता, पेयजल और स्वच्छता डिवीजन, साहेबगंज।

.... उत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्त्ता(गण) के लिए :– श्री बैध नाथ मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य के लिए :– श्री बिनोद सिंह, एस0सी0 (एल एंड सी)

श्री विशाल कुमार सिंह, एस0सी0 (एल एंड सी) के ए0सी0

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

08/28.02.2019 इस रिट याचिका में, याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों को उनकी पेंशन को अंतिम रूप देने और ग्रेच्यूटी के भुगतान के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है।

2. याचिकाकर्त्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्त्ता को राज्य सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के क्षेत्र में दिनांक 19.08.1981 को पत्राचार क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत हो गए हैं। वह आगे कहते हैं कि यद्यपि याचिकाकर्त्ता दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत हो गए हैं, परंतु उनकी पेंशन एवं गेच्यूटी के 100 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होनें यह भी कहा कि याचिकाकर्त्ता को जी0पी0एफ0, जी0आई0सी0 और छुट्टी नकदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होनें यह भी कहा कि 75% अनंतिम पेंशन तय की गई है और याचिकाकर्त्ता की ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होनें आगे कहा कि नवंबर, 2018 से अनंतिम पेंशन को भी रोक दिया गया है। वह आगे कहते हैं कि झारखंड पेंशन नियमावली के अनुसार, कार्यवाही शुरू करने के बाद और झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) और 139 के संदर्भ में ही केवल सेवानिवृत लाभों को रोका या वसूल किया जा सकता है, इस प्रकार उपरोक्त राशि को रोकना उचित नहीं है, जब नियम 43 (बी) के तहत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। वह आगे कहते हें कि यह पाया गया कि 21,27,388. 21 रूपये की सामग्री की कमी थी और इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता से उक्त राशि को वापस करने की मांग की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है।

3. राज्य के वकील ने कहा कि याचिकाकर्त्ता से 21,27,388.21 रूपये की राशि वसूली करनी थी, उसे केवल 75% पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। वह स्वीकार करते हैं कि उसे ग्रेच्यूटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

4. पार्टियों को सुना।

5. यह एक स्वीकार किया गया मामला है कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 31.12.2015 को सेवानिवृत हो गए हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्त्ता को जी0पी0एफ0, जी0आई0एस0 और छुट्टी नकदीकरण के शीर्ष के तहत राशि प्राप्त हुई है। यह भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्त्ता के लिए 75% अनंतिम पेंशन तय की गई है और उसे ग्रेच्यूटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही, उसके सेवानिवृति के समय लंबित नहीं थी।

6. झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) और नियम 43 (बी) के संदर्भ में ही पेंशन और ग्रेच्यूटी को रोका जा सकता है। उपरोक्त नियम प्रदान करते हैं कि कार्यवाही के बाद ही वसूली का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा, डॉ0 दुध नाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में जो 2007 (4) जे0सी0आर0 1 (जेएचआर0) (एफ0बी0) में प्रकाशित है, इस न्यायालय ने माना है कि विभागीय या आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, एक अपचारी कर्मचारी के पेंशन लाभ को रोक नहीं सकता है। इस मामले में, झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) और 139 के संदर्भ में याचिकाकर्त्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, इस प्रकार, याचिकाकर्त्ता से सेवानिवृत लाभ को रोका या वसूल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्त्ता को सामान्य तौर पर यानि सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत किया गया था। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि ग्रेच्यूटी की राशि को रोके रखने और

याचिकाकर्त्ता को शत–प्रतिशत पेंशन की मंजूरी नहीं देने के प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई बिल्कुल गलत है।

7. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, प्रतिवादी अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि याचिकाकर्त्ता की शत–प्रतिशत पेंशन सहित सभी शेष सेवानिवृत बकाया राशि के साथ–साथ ग्रेच्यूटी और वेतन की बकाया राशि का भुगतान इस आदेश की एक प्रति प्राप्त/उत्पादन की तारीख से बारह (12) सप्ताह के अवधि के भीतर किया जा सके।

8. उपरोक्त संप्रेक्षण और निर्देश के साथ, यह याचिका अनुज्ञात किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)